न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
242/2020	03.11.2020	26.02.2021

उनवान

1 कंवरसिंह
2 अशोक कुमार पुत्रान बसन्ता जाति अहीर निवासी गढी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादीगण

बनाम

1 श्रीराम
2. पूर्ण सिंह
3. धनपत पुत्रान बसन्ता जातियान अहीर निवासी हाल गढी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. शैतानसिंह पुत्र घीसा जाति अहीर निवासी गढी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, अलवरं ।
6. श्रीमान उपपजियक महोदय मुण्डावर अलवर।

–: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री महेश गुर्जर एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 26.02.2021** को **रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है:–**

"तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पेश कुरेजात प्रस्ताव पर वादी का वाद पत्र अन्तिम पर्चा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 351 रकबा 0.48 एवं 713/350 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम गढी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में वादी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/ हिस्से ... ... अधिकार में किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी ... से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को ... होने वाले खसरे ... /हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।"

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.02.2021 को ... ... अधिकारी जाकर बांद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:22:38 IST
Reason: SelfAttested

26/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0